A 2.3

परिशिष्ठ (देखिय नियम--6)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण--पत्र)

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख–मउडियार –गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 25.09.2010 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री [illegible] वन दरौगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री. [illegible]....पटवारी तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से **श्री केशव लाल** सहायक अभियंता एवं श्री **सन्तोष कुमार** कनिष्ठ अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु सिविल भूमि–1.645 हैक्टेयर, वन पंचायत 1.715 हैक्टेयर, आरक्षित भूमि 1.050 हैक्टेयर (कुल वनभूमि–4.410 हैक्टेयर)वनभूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं **है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।**

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

पटवारी,
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

वन क्षेत्राधिकारी
वन विभाग प्रतिनिधि

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
कपकोट

तहसीलदार
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
कपकोट

जिलाधिकारी
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट